UPBL010031272026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

उपस्थितः अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1360/2026

धीरज सिंह पुत्र बरमेश्वर सिंह उर्फ मोहर सिंह, साकिन–लक्ष्मण छपरा, थाना–दोकटी, जिला बलिया।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी।

मु0 अ 0 सं0–43/2026
धारा–109, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस.
एवं धारा–4/25 आर्म्स एक्ट
थाना–दोकटी, जिला–बलिया

दिनांक– 10.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त धीरज सिंह की ओर से मुकदमा अपराध सं0–43/2026 अंतर्गत धारा–109, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. एवं धारा–4/25 आर्म्स एक्ट, थाना–दोकटी, जनपद–बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता बरमेश्वर सिंह उर्फ मोहर सिंह ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न हीं निस्तारित हुआ है ।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 22.03.2026 को 3 बजे सायं को दुकान पर समोसा व चाय पी रहा था तो उसी गांव के चन्दन सिंह व धीरज सिंह आए एवं अनायाश ही वादी मुकदमा को गाली देने लगे। जब गाली देने से मना किया तो दोनों लोग मारने लगे व जान से मारने की नियत से धारदार हथियार चाकू से हमला कर दिए और वहां से भाग गए। जाते–जाते जान से मारने की धमकी दिए । उक्त कथनों पर संबंधित थाना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा निर्दोष है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक के पास से कोई हथियार बरामद नही है। घायल को किसी अन्य परिस्थिति मे मामूली चोटे आई पुलिस ईलाका के साथ घुल मिलकर फर्जी कहानी बनाकर मुकदमा कायम कराया। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

6. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7. पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया। प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों एवं इस स्तर पर केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को धारदार हथियार चाकू से प्रहार कर गंभीर रुप से घायल कर दिए जाने का अभियोजन कथानक है।

मजरुब सुजीत कुमार सिंह के चिकित्सकीय परीक्षण आख्यानुसार उसके शरीर पर निम्न चोटें आना अभिकथित है–

(i). Incised wound 2cmX0.5cm left side face over cheek, bleeding present.

(ii). Abrasion left eyebrow, lateral side 1cmX0.5cm, red.

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.07.10 19:06:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(iii). Incised wound left side head 4.5cm X 0.5cm about 8cm above tip of left ear pinna, regular margin, bleeding.

(iv). Lacerated wound upper part of head in front, size 1.5cmX0.2cm, red.

मजरुब साक्षी/वादी मुकदमा सुजीत कुमार सिंह ने अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि दिनांक 22.03.2026 को 3 बजे सायं को दुकान पर समोसा व चाय पी रहा था तो उसी गांव के चन्दन सिंह व धीरज सिंह आए एवं अनायाश ही उसे गाली देने लगे। जब गाली देने से मना किया तो दोनों लोग मारने लगे व जान से मारने की नियत से धारदार हथियार चाकू से हमला कर दिए और वहां से भाग गए। जाते समय जान से मारने की धमकी दिए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार चाकू से उसके मर्मस्थल पर गंभीर चोटें पहुंचायी गयी है।

आदेश पत्रक के मार्जिन पर अभिलिखित सत्र लिपिक की आख्यानुसार सह–अभियुक्त चन्दन सिंह का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 595/2026 दिनांक 29.04.2026 गुणदोष के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, मजरूब की चोटो एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त धीरज सिंह का उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 10.07.2026

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया
ID No. UP 06529

स्टेनो–आर.एस.सेन